निग/3863 - II-15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. अल्पना जैन पत्नि नीलेश जैन
निवासी रेंज आफिस के सामने सिविल लाईन रोड़
टीकमगढ़ तह. व जिला टीकमगढ़ म.प्र.
2. जब्बार खॉ तनय स्व. श्री नत्थू खॉ
निवासी पुराना बस स्टैण्ड टीकमगढ़ म.प्र. ....आवेदकगण

//विरूद्ध//

1. श्रीमति बृजकुंवर पत्नि सियाराम यादव
निवासी ग्राम मुड़ारा तह. निवाड़ी
2. राकेश तनय विद्याधर यादव निवासी मोहनगढ़ तह. जतारा
जिला टीकमगढ़ म.प्र.
3. प्रकाश तनय राजधर यादव निवासी ग्राम अनंतपुरा
तह. व जिला टीकमगढ़ म.प्र. ....अनावदेकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 01/पुन०/2014–15 की पारित आदेश दिनांक 10–08–2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक क. 1 के आवेदन पर प्रकरण का निराकरण करते हुए दिनांक 24.04.14 को प्रस्तुत आवेदन इस आधार पर निरस्त किया था कि, वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। जिसमें विवादित भूमि का कय किया जाना बताया गया है उक्त भूमि आवेदकगणों द्वारा रजिस्टर्ड विकयपत्र के माध्यम से कय कर विधिवत नामांतरण किया जा चुका है। तथा वर्तमान में काबिज चले आ रहे है। इसी भूमि के नामांतरण बावत् अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.09.14 के परिपालन में प्रकरण पुनर्विलोकन हेतु भेजे जाने पर आवेदकगणों को सुनवाई का अवसर दिए बिना दिनांक 30.12.14 को प्रकरण पुनर्विलोनकन लिए जाने बावत् अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रेषित किया गया जिन्होंने दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3563—दो / 2015 जिला टीकमगढ़

अल्पना जैन आदि विरूद्ध श्रीमति बृजकुंवर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08—03—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 01 / पुन0 / 2014—15 में पारित आदेश दिनांक 10—8—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06—05—2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 08/03/19	